

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र ।
पत्रांक- 352/रेनुकूट/15-295 दिनांक, रेनुकूट, जुलाई, 27, 2022
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग सोनभद्र द्वारा आर0एस0रोड(सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा मार्ग के चैनेज संख्या- 0.000 से 20.150 तक में निर्मित मार्ग के चौड़ीकरण एवं सृष्टीकरण से प्रभावित 14.5603 हे0 वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति के संबंध में ।

(ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/118819/2021)

संदर्भ:- 1-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक- 8बी/यू0पी0/06/33/2022/एफ0सी0/786 दिनांक- 31.03.2022
2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक- 2795/11-सी- FP/UP/ROAD/118819/2021 लखनऊ दिनांक- 01.04.2022
3-आपका पत्रांक- 4324/मी0क्षे0/33 दिनांक- 01.04.2022

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा इंगित की गयी कमियो से संबंधित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु प्रभाग के पत्रांक- 3048/रेनुकूट/15-295 दिनांक- 04.04.2022 व पत्रांक- 258/रेनुकूट/15-295 दिनांक- 19.07.2022 द्वारा अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई, खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र से अनुरोध किया गया था । उक्त के क्रम में अधिशासी अभियन्ता पी.0एम0जी0एस0वाई खण्ड लोक निर्माण सोनभद्र ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या-721 दिनांक-21.07.2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा आख्या प्रभाग में उपलब्ध करायी गयी है जिसके आधार पर प्रभाग की अनुपालन आख्या निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित प्रेषित है :-

क्र0सं0	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक- 8बी/यू0पी0/06/33/2022/एफ0सी0/786 दिनांक- 31.03.2022 में अंकित बिन्दु	प्रभाग की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	As per the GIS DSS and SOI toposheet demarcation of the forest area in Kml file is undervalued. Some forest areas are demarcated as Non-Forest land . this needs rectification/clarification.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि लिनियर प्लान में अंकित गैर वन भूमि का डिमार्केशन वन भूमि के रूप में करा दिया गया है । एरिया का विवरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 111 से 120 तक संलग्न किया गया है । अब एरिया में कोई कमी नहीं है ।
2	The NET Suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 9.0 ha .	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि निम्नानुसार चयनित किया

	which is less than the actual required CA land area .	गया है :- 1- ग्राम-बहेराडोल 8.0003 हे० 2- ग्राम-कटौधी 6.5600 हे० योग- 14.5603 हे० उक्त चयनित गैर वन भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग एवं वन विभाग से कराये जाने के उपरान्त वांछित प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 210 पर संलग्न किया गया है । उक्त की पुष्टि पुनः राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा की गयी है । चयनित क्षेत्रफल में कोई कमी नहीं है
3	As per the proposal CA land has been proposed in Non-Forest area . but according to the SOI toposheet and DSS CA land patch falls under the Reserve Forest area this needs rectification and clarification.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित गैर वन भूमि राजस्व अभिलेखों एवं वन विभाग के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि ही है । जिसकी पुष्टि हेतु प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 210 पर वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है । उक्त का मिलान पुनः राजस्व अभिलेख एवं वन विभाग के अभिलेख से कराया गया तथा स्थिति पूर्व की भाँति पायी गयी । चयनित क्षेत्र आरक्षित वन भूमि के अन्तर्गत नहीं है ।
4	Geo- referenced cadastal map of the proposed CA land needs to be submitted	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित क्षतिपूर्क गैर वन भूमि का कैडस्ट्रल मैप प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-240, 241, 242 व 243 पर संलग्न है तथा जियो रिफरेंस मानचित्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 236 व 237 पर संलग्न है ।
5	When was the existing road constructed . If after 1980 and permission was not taken under FCA . then the proposal should include the area of existing road as well.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मार्ग पूर्व से निर्मित है किन्तु इसकी पुष्टि हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है और न कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है तथा निर्मित मार्ग के क्षेत्रफल को प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है ।
6	It is not clear from the proposal that what is before and what is after proposed alignment .	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित मार्ग में सम्मिलित पूर्व मार्ग के संरेखन में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा तथा उसी मार्ग के दोनों ओर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य किया जाना है ।
7	No objection certificate of concerned eaprtments (Irrigation, PWD/NHAI etc) need to be submitted .	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि लिनियर प्लान में अंकित गैर वन भूमि का डिमार्केशन वन भूमि के रूप में करा दिया गया है । एरिया का विवरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 111 से 120 तक संलग्न किया गया है । अब एरिया में कोई कमी नहीं है ।
8	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि निम्नानुसार चयनित किया गया है :- 1- ग्राम-बहेराडोल 8.0003 हे० 2- ग्राम-कटौधी 6.5600 हे० योग- 14.5603 हे० उक्त चयनित गैर वन भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग एवं वन विभाग से कराये जाने के उपरान्त वांछित प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-

		210 पर संलग्न किया गया है । उक्त की पुष्टि पुनः राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा की गयी है । चयनित क्षेत्रफल में कोई कमी नहीं है
9	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित गैर वन भूमि राजस्व अभिलेखों एवं वन विभाग के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि ही है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 210 पर वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है । उक्त का मिलान पुनः राजस्व अभिलेख एवं वन विभाग के अभिलेख से कराया गया तथा स्थिति पूर्व की भाँति पायी गयी । चयनित क्षेत्र आरक्षित वन भूमि के अन्तर्गत नहीं है । त्र

संलग्नक:-उपरोक्तनुसार ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग ,रेनुकूट

संख्या- अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि: अधिशासी अभियन्ता, पी0.एम0जी0एस0वाई, खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र को उनके पत्र दिनांक- 21.07.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(मनमोहन मिश्र)

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग ,रेनुकूट

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
सोनभद्र।**

दिनांक :- 21.07.2022

पत्रांक:- 721 /67144 -पी0एम0जी0एस0वाई0/2022
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनूकूट वन प्रभाग,
रेनूकूट- सोनभद्र।

विषय:- जनपद सोनभद्र के रेनूकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र द्वारा आर0एस0 रोड से (सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा मार्ग के चैनेज संख्या 0.00 से 20.150 किमी0 तक में निर्मित मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण से प्रभावित 14.5603 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 758 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या - **FP/UP/ROAD/118819/2021**)

संदर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट सोनभद्र का पत्रांक 258/रेनूकूट/15-295 दिनांक रेनूकूट, जुलाई, 19, 2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में आप द्वारा वांछित बिन्दुवार आख्या निम्नवत् सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र0सं0	बिन्दु	आख्या
1	As per the GIS DSS and SOI toposheet, demarcation of the forest area in Kml file is undervalued. Some forest areas are demarcated as Non-Forest land. This needs rectification/clarification.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि लिनियर प्लान में अंकित गैर वन भूमि का डिमार्केशन वन भूमि के रूप में कर दिया गया है। एरिया का विवरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 111 से 120 तक संलग्न किया गया है। अब एरिया में कोई कमी नहीं है।
2	The NET Suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 9.0Ha. Which is less than the actual required CA land area.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि निम्नानुसार चयनित किया गया है :- 1- ग्राम-बहेराडोल 8.0003 हे0 2- ग्राम-कटौधी 6.5600 हे0 योग- 14.5603 हे0 उक्त चयनित गैर वन भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग एवं वन विभाग से कराये जाने के उपरान्त वांछित प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 210 पर संलग्न किया गया है। उक्त की पुष्टि पुनः राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा की गयी है। चयनित क्षेत्रफल में कोई कमी नहीं है
	As per the proposal CA land has been proposed in Non-Forest area but according to the SOI toposheet and DSS CA land patch falls under the reserve Forest area. This needs rectification and Clarification.	प्रस्तावित गैर वन भूमि राजस्व अभिलेखों एवं वन विभाग के अभिलेखों के अनुसार गैर वन भूमि ही है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 210 पर वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। उक्त का मिलान पुनः राजस्व अभिलेख एवं वन विभाग के अभिलेख से कराया गया तथा स्थिति पूर्व की भाँति पायी गयी। चयनित क्षेत्र आरक्षित वन भूमि के अन्तर्गत नहीं है।
4	Geo-referenced cadastral map of the proposed CA land needs to be submitted.	प्रस्तावित क्षतिपूरक गैर वन भूमि का कैडस्ट्रल मैप प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-240, 241, 242 व 243 पर संलग्न है तथा जियो रिफरेन्स मानचित्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 236 व 237 पर संलग्न किया गया है जिसकी प्रति पुनः संलग्न किया जा रहा है।
5	When was the existing road constructed? is after 1980 and permission was not taken under FCA. then the proposal should include the area of existing road as well.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मार्ग पूर्व से निर्मित है किन्तु इसकी पुष्टि हेतु कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है तथा निर्मित मार्ग के क्षेत्रफल को प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है।
6	it is not clear from the proposal that what is before and what is after proposed alignment.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित मार्ग में सम्मिलित पूर्व मार्ग के संरेखन में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा तथा उसी मार्ग के दोनों ओर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य किया जाना है।

(-2-)

7	No objection certificate of concerned departments (Irrigation, PWD/NHA etc. need to be submitted.)	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रस्तावित है, जो पूर्व से ही लो0नि0वि0, सोनभद्र के अधीन है, ।
8	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि कम्पोनेन्ट वाईज विवरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-111 से 120 पर संलग्न किया गया है तथा ले आउट प्लान पृष्ठ संख्या- 228 से 233 पर संलग्न है ।
9	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित परियोजना में muck calculation and muck disposal योजना जो वनाधिकारी से सत्यापित है की प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 110 पर संलग्न है ।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

21/7/2022

अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र ।

पत्रांक:- 721 /67144 -पी0एम0जी0एस0वाई0/2022 दिनांक :-21.07.2022

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- जिलाधिकारी सोनभद्र ।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी सोनभद्र ।
- 3-अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0, वाराणसी ।

R
23.7.2022L.T
महोदय को
20/7/202215
482
23/07/2022

अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र ।